संख्या- 234 /2024/ 1360 /चार-2024-1802353

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 07 मई, 2024

विषय- विभिन्न संस्थाओं / विभागों की मांग पर प्रायोजित किये गये कार्यक्रमों में कलाकारों के मानदेय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-112/सं0नि0-15(2)/2023-24(10), दिनांक 24 अप्रैल, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 168/2024/1082/चार-2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 द्वारा आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रम की समिति बैठक दिनांक 12.03.2024 में की गयी संस्तुति के अनुसार रू0 11,92,960.00, शासनादेश संख्या- 42/2024/234/चार-2024 दिनांक 18 जनवरी, 2024 द्वारा गणतंत्र दिवस दिल्ली में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित होने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु रू0 13.50 लाख एवं शासनादेश संख्या- 337/2023/7172/चार-2023 दिनांक 23 नवम्बर, 2023 द्वारा दिनांक 15 से 25 अक्टूबर, 2023 रामलीला के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु रू0 1.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसका भुगतान गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजटीय अभाव के कारण नहीं किया जा सका है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 168/2024/1082/चार-2024 दिनांक 22 मार्च, 2024, शासनादेश संख्या- 42/2024/234/चार-2024 दिनांक 18 जनवरी, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 337/2023/7172/चार-2023 दिनांक 23 नवम्बर, 2023 को निरस्त करते हुए प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रमों की गठित समिति द्वारा संस्तुत कार्यक्रमों हेतु रू0 11,92,960.00, गणतंत्र दिवस दिल्ली में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित होने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु रू0 12.44 लाख, दिनांक 15 से 25 अक्टूबर, 2023 रामलीला के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु रू0 1.30 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रायोजित कार्यक्रमों में समिति द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 21,13,460.00 अर्थात् कुल धनराशि रू0 46,80,420.00 (रू0 छियालीस लाख अस्सी हजार चार सौ बीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन एवं प्रशासन -03- संस्कृति निदेशालय- 42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 234 /2024/ 1360 (1) /चार-2024-1802353, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।